::श्री::

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर, म०प्र० कैंप इन्दौर

PBR/निगरानी/झाबुआ/भू.रा/2017/6247

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 05-12-17 को प्रस्तुत।
973
05-12-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

1. नाथु पिता भेरीया कटारा भील
2. शंकर पिता भेरीया कटारा भील
3. मंगलिया पिता भेरीया कटारा भील
4. सुरतान पिता भेरीया कटारा भील
5. कान्ता बेवा सोहन कटारा भील समस्त निवासी ग्राम सागडीया तहसील पेटलावद जिला झाबुआ म.प्र.

-----रिविजनकर्तागण

विरूद्ध

मांगु पिता बद्दा कटारा भील निवासी ग्राम सागडीया तहसील पेटलावद जिला झाबुआ म.प्र.

-----अनावेदक

<u>रिविजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.</u>

माननीय महोदय,

उपरोक्त उनवान की रिविजन रिविजनकर्तागण की ओर से अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय पेटलावद के राजस्व प्रकरण क्र 3/अ-70/2016-17 में पारीत अंतरीम प्रोसेडिंग आदेश दिनांक 09.10.2017 के विरूद्ध अनेकानेक कारणों से व्यथित होकर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

19-12-17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर /निगरानी/झाबुआ/भूरा/2017/6247

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ तहसीलदार तहसील पेटलावद जिला झाबुआ के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–10–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन व पंचनामा को संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिवत् नहीं पाते हुये संदेहास्पद पाया है । तहसीलदार का यह निष्कर्ष प्रकरण में संलग्न स्थल पंचनामें की छायाप्रति के अवलोकन से प्रथमदृष्टया सही दिखलाई पड़ता है । इसलिये तहसीलदार ने जो आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 एवं व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन अस्वीकार कर प्रकरण मूल आवेदन के निराकरण हेतु नियत किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतःप्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	